

# कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

// विविध आदेश //

क्रमांक- 22 / तीन-16-1 / 2005

हरदा दिनांक 13 / 05 / 2023

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा निर्धारित ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि दिनांक 15.05.2023 से दिनांक 09.06.2023 तक की अवधि में इस न्यायिक जिला स्थापना के न्यायिक अधिकारीगण का निम्नानुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है :-

क्र0	न्यायिक अधिकारी का नाम	ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि	कुल दिवस	मुख्यालय पर उपस्थित न्यायिक अधिकारी	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार
1.	श्री अनूप कुमार त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश, (एट्रोसिटी) एस.सी./एस.टी. एक्ट, हरदा (म.प्र.)	दिनांक 29.05.2023 से दिनांक 09.06.23 तक कुल 12 दिवस का ग्रीष्मकालीन अवकाश, दिनांक 27.05.2023 के न्यायालयीन समय पश्चात् से दिनांक 10.06.2023 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	12 दिवस	1. श्री रोहित सिंह, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा दि0 29.05.23 से दि0 09.06.2023 तक 2. श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, हरदा दि0 22.05.23 से 03.06.23 तक 3. श्री राजेन्द्र कुमार दक्षणी, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, हरदा दि0 05.06.23 से दि0 09.06.23 तक	श्री रोहित सिंह, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा	श्री राजेन्द्र कुमार दक्षणी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की अनुपस्थिति में श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, हरदा
2.	श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा	1. दिनांक 15.05.2023 से दिनांक 19.05.2023 तक कुल 05 दिवस, दिनांक 13.05.2023 के कार्यालय समय पश्चात् से दिनांक 21.05.2023 के कार्यालय समय पूर्व तक मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित। 2. दिनांक 05.06.2023 से दिनांक 09.06.2023 तक कुल 05 दिवस, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित।	10 दिवस	1. श्री अनूप कुमार त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश, (एट्रोसिटी) हरदा दि0 15.05.23 से 27.05.23 तक 2. श्री आर0 के0 दक्षणी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा दि0 15.05.23 से दि0 19.05.23 तक 3. श्री रोहित सिंह, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा दि0 29.06.23 से दि0 09.06.2023 तक	श्री राजेन्द्र कुमार दक्षणी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा  श्री रोहित सिंह, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा	श्री अनूप कुमार त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), हरदा  श्री राजेन्द्र कुमार दक्षणी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
3.	श्री राजेन्द्र कुमार दक्षणी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा	दिनांक 22.05.2023 से दिनांक 02.06.2023 तक कुल 12 दिवस, दिनांक 20-21.05.2023 के सार्वजनिक अवकाश सहित, दिनांक 19.05.2023 के कार्यालयीन समय पश्चात् से दिनांक 03.06.2023 के कार्यालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	12 दिवस	1. श्री अनूप कुमार त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश, (एट्रोसिटी) हरदा दि0 15.05.23 से 27.05.23 तक 2. श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा दि0 22.05.23 से 03.06.23 तक 3. श्री रोहित सिंह, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा दि0 29.05.23 से दिनांक 09.06.23 तक	श्री अनूप कुमार त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), हरदा	श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की अनुपस्थिति में श्री रोहित सिंह, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
4.	श्री रोहित सिंह, तृतीय अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), हरदा	दिनांक 18.05.2023 से दिनांक 27.05.2023 तक कुल 10 दिवस, दिनांक 28.05.2023 के सार्वजनिक अवकाश होने से दिनांक 17.05.2023 से 29.05.2023 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	10 दिवस	1. श्री अनूप कुमार त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश, (एट्रोसिटी) हरदा दि0 15.05.23 से 27.05.23 तक 2. श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा दि0 22.05.23 से 03.06.23 तक 3. श्री राजेन्द्र कुमार दक्षणी, द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा दि0 05.06.23 से दि0 09.06.23 तक	श्री अनूप कुमार त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज, हरदा	श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा

5.	श्री के० के० वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा	दिनांक 22.05.2023 से दिनांक 02.06.2023 तक कुल 12 दिवस, दिनांक 19.05.2022 के न्यायालय समय पश्चात से 03.06.2023 के न्यायालय समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	12 दिवस	1. श्री एस.के. भदकारिया, जे.एम.एफ.सी., हरदा दि० 15.05.2023 से 27.05.2023 तक 2. श्री विनीत साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा दि० 29.05.23 से 09.06.23 तक 3. श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा दि० 28.05.23 से दि० 09.06.23 तक	श्री एस. के. भदकारिया, जे.एम.एफ.सी., हरदा	श्री विनीत साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा की अनुपस्थिति में श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा
6.	श्रीमती कला भम्मरकर, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खिरकिया	दिनांक 15.05.2023 से दिनांक 26.05.2023 तक कुल 12 दिवस, दिनांक 13.05.2023 के न्यायालयीन समय पश्चात से 27.05.2023 के न्यायालय समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	12 दिवस	1. श्री के. के. वर्मा, सी.जे.एम., हरदा दि० 15.05.23 से 19.05.23 तक 2. श्री एस. के. भदकारिया, जे.एम.एफ.सी., हरदा दिनांक 15.05.23 से 27.05.23 तक	श्री के. के. वर्मा, सी.जे.एम., हरदा	श्री एस. के. भदकारिया, जे.एम.एफ.सी., हरदा
7.	श्रीमती अंकिता शाही, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टिमरनी जिला हरदा	दिनांक 29.05.2023 से दिनांक 09.06.2023 तक कुल 12 दिवस, दिनांक 28.05.2023 से दिनांक 09.06.2023 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	12 दिवस	1. श्रीमती ज्योति, वरकड़े, जे.एम.एफ.सी., टिमरनी दि० 29.05.23 से दि० 09.06.23 तक 2. श्री विनीत साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा मुख्यालय पर दि० 29.05.23 से 09.06.23 तक 3. श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा दि० 29.05.23 से दि० 09.06.23 तक	श्रीमती ज्योति वरकड़े, जे.एम.एफ.सी., टिमरनी जिला हरदा	श्री विनीत साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा
8.	श्री एस. के. भदकारिया, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, हरदा	दिनांक 29.05.2023 से दिनांक 09.06.2023 तक कुल 12 दिवस, दिनांक 27.05.2023 के न्यायालयीन समय पश्चात से 10.06.2023 के न्यायालय समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	12 दिवस	1. श्री विनीत साकेत, जे.एम.एफ.सी. हरदा दि० 29.05.23 से दि० 09.06.23 तक 2. श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा दि० 29.05.23 से दि० 09.06.23 तक	श्री विनीत साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा	श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा
9.	श्री विनीत साकेत, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, हरदा	दिनांक 15.05.2023 से 26.05.2023 तक कुल 12 दिवस, दिनांक 13.05.2023 के न्यायालयीन समय पश्चात से 27.05.2023 के न्यायालय समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	12 दिवस	1. श्री एस. के. भदकारिया जे.एम.एफ.सी., हरदा दि० 15.05.23 से दि० 27.05.23 तक 2. श्री के.के. वर्मा, सी.जे.एम., हरदा दि० 15.05.23 से दि० 19.05.23 तक	श्री एस. के. भदकारिया, जे.एम.एफ.सी., हरदा	श्री के.के. वर्मा, सी.जे.एम., हरदा
10.	श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, हरदा	दिनांक 15.05.2023 से 26.05.2023 तक कुल 12 दिवस, दिनांक 13.05.2023 के न्यायालयीन समय पश्चात् से दिनांक 27.05.2023 के न्यायालय समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	12 दिवस	1. श्री एस. के. भदकारिया जे.एम.एफ.सी., हरदा दि० 15.05.23 से दि० 27.05.23 तक 2. श्री के.के. वर्मा, सी.जे.एम., हरदा दि० 15.05.23 से दि० 19.05.23 तक	श्री एस. के. भदकारिया, जे.एम.एफ.सी., हरदा	श्री के.के. वर्मा, सी.जे.एम., हरदा
11.	श्रीमती ज्योति वरकड़े, जे.एम.एफ.सी., टिमरनी	दिनांक 15.05.2023 से 26.05.2023 तक कुल 12 दिवस, दिनांक 13.05.2023 के न्यायालयीन समय पश्चात् से दिनांक 27.05.2023 के कार्यालय समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	12 दिवस	1. श्रीमती अंकिता शाही, जे.एम.एफ.सी. टिमरनी जिला हरदा दि० 15.05.23 से दि० 27.05.23 तक 2. श्री एस. के. भदकारिया, जे.एम.एफ.सी., हरदा दि० 15.05.23 से दि० 27.05.23 तक	श्रीमती अंकिता शाही, जे.एम.एफ.सी. टिमरनी जिला हरदा	श्री एस. के. भदकारिया, जे.एम.एफ.सी., हरदा

2- न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्नलिखित शर्तों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे -

1. सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व अपने कार्य की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कर मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे।
2. न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सहमति के आधार पर निष्पादित की जावेगी।

3. ग्रीष्मकालीन प्रभार व्यवस्था, ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि के दौरान प्रभावशील रहेगी।
4. ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में कोई भी मजिस्ट्रेट अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित रहता है तब उस न्यायालय का कार्य जिला मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा। यह विविध आदेश ग्रीष्मकाल अवकाश अवधि तक प्रभावशील रहेगा।

*Sd/-*  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
हरदा (म0प्र0)

पृ0क0 630/तीन-16-1/2005

हरदा दिनांक 13 .05.2023

प्रतिलिपि :-

- 1 श्री अनूप कुमार त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (अ.जा./अ.ज.जा.) हरदा
- 2 श्री शैलेन्द्र सिंह नागौत्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, हरदा
- 3 श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
- 4 श्री राजेन्द्र कुमार दक्षणी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
- 5 श्री रोहित सिंह, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
- 6 श्री के0 के0 वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा
- 7 श्रीमती कला भम्मरकर, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खिरकिया जिला- हरदा
- 8 श्रीमती अंकिता शाही, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हरदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, टिमरनी, जिला हरदा
- 9 श्री एस. के. भदकारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/जिला रजिस्ट्रार, हरदा
- 10 श्री विनीत साकेत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरदा
- 11 श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरदा
- 12 श्रीमती ज्योति वरकड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टिमरनी, जिला- हरदा
- 13 अक्षयक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, हरदा/खिरकिया/टिमरनी, जिला- हरदा
- 14 प्रशासनिक/उप प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
- 15 सांख्यिकीय लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
- 16 प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 17 सिस्टम ऑफिसर/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय, हरदा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, न्यायिक अधिकारीगण को ई-मेल व वॉट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित की जावे व जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड की जावे।

*A* 13-5-23  
कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय  
हरदा (म0प्र0)